

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2021/296 दिनांक : 19/04/2021

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि.तिथि
1	श्री कमल नयन धाकड़, लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तालेडा (बूंदी)	18.08.1961	31.08.2021
2	श्री बोदु लाल माली, तकनीकी सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरमाडा (अजमेर)	01.10.1961	30.09.2021
3	श्री वैद प्रकाश यादव, लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहापुर (अलवर)	02.08.1961	31.08.2021
4	श्री पदम सिंह इन्दा, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर (जोधपुर)	08.07.1961	31.07.2021
5	श्री सत्यनारायण बजाज, लैब टैक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केली (चित्तौड़गढ़)	07.08.1961	31.08.2021
6	श्री कल्याण सिंह, लैब टैक्नीशियन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैमरी (करौली)	21.06.1961	30.06.2021

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है

६०
(मुकुल शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2021/296

दिनांक : 19/04/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जोन।
3. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा.स्वा.केन्द्र/प्रा.स्वा.केन्द्र।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/डीपीसी सैल/निजी पत्रावली।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारी
के विरुद्ध यदि
आडिट पेरा या
अन्य कोई
वसूली बकाया
हो तो उसकी
वसूली तत्काल
कर निदेशालय
को अवगत
करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर